

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

€ Gov', of Haryana		
No. 121–2	018/Ext.] चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 19 जुलाई, 2018 (28 आषाढ़, 1946 शक)	
	विधायी परिशिष्ट	
क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ट
भाग 1	अधिनियम	
	কূড नहीं।	
भाग ॥	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग ॥।	प्रत्यायोजित विघान	
	अधिसूचना संख्या का०आ०४३/के०अ०२९/१९८६/धा० ५ तथा ७/२०१८, दिनांक १९ जुलाई, २०१८ — हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०१२/के०अ०२९/१९८६/धा० ५ तथा ७/२०१६, दिनांक ११ मई, २०१६ में संशोधन करने बारे।	581—-582
•	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	शुद्धि-पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	



[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ENVIRONMENT DEPARTMENT

Notification

The 19th July, 2018

No. S.O. 43/C.A. 29/1986/Ss.5 and 7/2018.— Whereas as per Haryana Government, Environment Department, notification No. S.O. 12/C.A. 29/1986/Ss.5 and 7/2016, dated the 11th May, 2016, directions were given for stone crushing units in regard to siting criteria norms as per Schedule 1, emission norms and pollution control measures requirements as per Schedule II, identification of zones and availability of sites as per Schedule III and procedure for establishment and operation in identified zones as per Schedule IV;

And whereas the State Government is of the opinion that it is necessary and expedient to make amendment in the Haryana Government Environment Department, notification No. S.O. 12/C.A.29/1986/Ss. 5 and 7/2016 dated the 11th May, 2016.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Centrel Act 29 of 1986), read with Government of India, Ministry of Environment and Forest Department of Environment, Forest and Wild Life, Notification No. S.O.152(E), dated the 10th February, 1988, and in pursuance of the provision of section 7 of the said Act, and Rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, with reference to the Haryana Government, Environment Department, Notification No. S.O.30/C.A.29/1986/Ss.5 and 7/2018, dated the 28th May, 2018, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Environment, notification No. S.O.12/C.A.29/1986/Ss.5 and 7/2016, dated 11th May, 2016 namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government Environment Department, Notification No. S.O.12/C.A.29/1986/Ss.5 and 7/2016, dated the 11th May, 2016, In Schedule II, in item number IV, under the heading, "Requirement of Land", in the last line, for the word "twenty", the word "seven" shall be substituted.

DEVENDER SINGH, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Environment Department.

56404--L.R.--H.G.P., Chd.



माग-111

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 जुलाई, 2018

संख्या का०आ० 43/के०अ०/29/1986/धा० 5 तथा 7/2018.— चूँकि, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०12/कं०अ०/29/1986/धा० 5 तथा 7/2016, दिनांक 11 मई, 2016 के अनुसार अनूसूची । के अनुसार खल निर्धारण मापवंड मानकों, अनुसूची—III के अनुसार उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों, अनुसूची—III के अनुसार जोनों की पहचान तथा स्थलों की उपलब्धता तथा अनुसूची—IV के अनुसार परिलक्षित जोनों में स्थापना तथा सर्थालन के लिए प्रक्रिया के संबंध में स्टोन क्रिशंग इकाइयों को निर्देश दिए गए थे :

और, चूँकि राज्य सरकार की राय है कि हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०12 / के०अ० / 29 / 1986 / धारा 5 तथा 7 / 2016, दिनांक 11 मई, 2016 में संशोधित करना आवश्यक तथा समीचीन है ;

्रेहसलिए, अब, मारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 152(ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4, के अनुसरण तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ०३०/के०अ०२९/1986/धा० 5 तथा 7/2018, दिनांक 28 मई, 2018 के प्रतिनिर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 12/के०अ०/29/1986/धा० 5 तथा 7/2016, दिनांक 11 मई, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 12/के०अ०/29/1986/घा० 5 तथा 7/2016 दिनांक 11 नई, 2016 में, अनुसूची 11 में, मद संख्या IV में, 'मूरि की आवश्यकला' शीर्ष के नीचे, विद्यमान पैश में, अन्तिम पंकित में ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''सात'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

> देवेन्द्र सिंह, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग।